न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 616 सन 2022

अनवान :–

1. हरमीत सिह पुत्र मुख्यतारसिह जाति जटसिख निवासी चक 7–9 आरपीएम तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. कमलजीत सिह पुत्र गुरप्यारसिह जाति जटसिख निवासी हरीनो तह. फरीदकोट
2. चरणजीत सिह पुत्र गुरप्यारसिह जाति जटसिख निवासी हरीनो तह. फरीदकोट
3. प्रमीन्द्रसिह पुत्र गुरप्यारसिह जाति जटसिख निवासी हरीनो तह. फरीदकोट
4. जगमोहनसिह पुत्र साधुसिह जाति जटसिख निवासी हरीनो तह. फरीदकोट
5. जीवन सिह पुत्र साधुसिह जाति जटसिख निवासी हरीनो तह. फरीदकोट
6. साधुसिह पुत्र बच्चनसिह जाति जटसिख निवासी हरीनो तह. फरीदकोट
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 05/7/2022

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा चक 9 आरपीएम चक 9 आरपीएम के खाता संख्या 31/0 की 0.5310हैव में से 1/2 हिस्से भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के नाम सें दर्ज है।

वाद भूमि पूर्व में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के पूर्वज सरदारासिह के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर विरास्तन से उनके दोनो पुत्रो बख्तावरसिह एव बच्चनसिह के नाम से दर्ज हुई वादी के पूर्वजों ने भूमि काश्त की सूविधा को ध्यान में रखते हुए वाद भूमि का बटवारा कर लिया था जिसमें वाद भूमि वादी के पिता को प्राप्त हुई थी जो वर्तमान में वादी के कब्जा काश्त में चली आ रही है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी के पूर्वजो के देहान्त होने पर विरास्तन से प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के नाम दर्ज हो चुकी है किन्तु बाहमी बटवारा के अनुसार वादी के कब्जा काश्त में चली आ रही है वादी बाहमी बटवार में मिली भूमि को अपने नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 जो वादी के भाई है के नाम से दर्ज भूमि को वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने निवेदन किया की वाद भूमि विरास्तन से प्रतिवादी संख्या 1 त 6 के नाम दर्ज हुइ है पूर्व में प्रतिवादी के पिता /पूर्वज के नाम दर्ज थी वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 एक ही परिवार के सदस्य है जिनके पूर्वजो ने परिवारिक समझौता किया जाकर काश्त की

उपखण्ड अधिकारी

Scanned with CamScanner

सुविधा को ध्यान में रखते हुए बाहमी बटवारा किया गया था जिसमे वाद भूमि वादी के पिता को प्राप्त हुई थी वर्तमान में वादी के कब्जा काश्त में चली आ रही है वाद भूमि बाहमी बटवारा के अनुसार वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी के नाम दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 5 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है ईकबाल जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस मे अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 9 आरपीएम चक 9 आरपीएम के खाता संख्या 31/0 की 0.5310हैव मे से 1/2 हिस्से भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के नाम सें दर्ज है।

वाद भूमि पूर्व में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के पूर्वज सरदारासिह के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर विरास्तन से उनके दोनो पुत्रो बख्तावरसिह एव बच्चनसिह के नाम से दर्ज हुई वादी के पूर्वजों ने भूमि काश्त की सूविधा को ध्यान में रखते हुए वाद भूमि का बटवारा कर लिया था जिसमें वाद भूमि वादी के पिता को प्राप्त हुई थी जो वर्तमान में वादी के कब्जा काश्त में चली आ रही है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी के पूर्वजो के देहान्त होने पर विरास्तन से प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के नाम दर्ज हो चुकी है किन्तु बाहमी बटवारा के अनुसार वादी के कब्जा काश्त में चली आ रही है वादी बाहमी बटवार में मिली भूमि को अपने नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 9 आरपीएम चक 9 आरपीएम के खाता संख्या 31/0 की 0.5310हैव में से 1/2 हिस्से भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के नाम सें मुश्तरका खाते में दर्ज है।

वादी का कथन है कि वाद भूमि विरास्तन से प्रतिवादी संख्या 1 त 6 के नाम दर्ज हुइ है पूर्व में प्रतिवादी के पिता /पूर्वज के नाम दर्ज थी वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 एक ही परिवार के सदस्य है जिनके पूर्वजो ने परिवारिक समझौता किया जाकर काश्त की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बाहमी बटवारा किया गया था जिसमे वाद भूमि वादी के पिता को प्राप्त हुई थी वर्तमान में वादी के कब्जा काश्त में चली आ रही है वाद भूमि बाहमी बटवारा के अनुसार वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने का अधिकारी है वादी के कथनो को प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के पूर्वजा के परिवारिक समणैता एव बाहमी बटवारा के अनुसार वाद भूमि वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी के नाम दर्ज की

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनो के समर्थन में इकबाल पेश किया जा चुका है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है

अतः वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के द्वारा स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 9 आरपीएम चक 9 आरपीएम के खाता संख्या 31/0 की 0.5310हैक में से 1/2 हिस्से भूमि का वादी अकेला खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 का नाम कलमजन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 1000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड मे अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 25/07/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. हरमीत सिह पुत्र मुख्यतारसिह जाति जटसिख निवासी चक 7–9 आरपीएम तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. कमलजीत सिह पुत्र गुरप्यारसिह जाति जटसिख निवासी हरीनो तह. फरीदकोट
2. चरणजीत सिह पुत्र गुरप्यारसिह जाति जटसिख निवासी हरीनो तह. फरीदकोट
3. प्रमीन्द्रसिह पुत्र गुरप्यारसिह जाति जटसिख निवासी हरीनो तह. फरीदकोट
4. जगमोहनसिह पुत्र साधुसिह जाति जटसिख निवासी हरीनो तह. फरीदकोट
5. जीवन सिह पुत्र साधुसिह जाति जटसिख निवासी हरीनो तह. फरीदकोट
6. साधुसिह पुत्र बच्चनसिह जाति जटसिख निवासी हरीनो तह. फरीदकोट
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 616 सन 2022 निर्णय दिनांक– 25/07/2022

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 9 आरपीएम चक 9 आरपीएम के खाता संख्या 31/0 की 0.5310हैक में से 1/2 हिस्से भूमि का वादी अकेला खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 का नाम कलमजन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 1000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे

पर्चा डिक्री आज दिनांक 25/07/22 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner